



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 236]
No. 236]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 4, 2000/चैत्र 15, 1922
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 4, 2000/CHAITRA 15, 1922

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2000

का.आ. 344 (अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) (दो सौ सैतालीसवां संशोधन) नियम, 2000 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में,-

(1) प्रथम अनुसूची में, शीर्ष '5. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय' के अधीन, उपशीर्ष (ii), (iii), और (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ष रखे जाएंगे अर्थात् :-

"(ii) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
(iii) पूर्ति विभाग।";

(2) 'दूसरी अनुसूची में, शीर्ष 'वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय' के अधीन, उपशीर्ष 'ख' और 'ग' और तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

'ख. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

I. औद्योगिक नीति

1. साधारण औद्योगिक नीति ।
2. उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) का प्रशासन ।
3. औद्योगिक प्रबंध
4. उद्योग में उत्पादकता ।

II. उद्योग और औद्योगिक तथा तकनीकी विकास

5. सभी उद्योगों की योजना, विकास, नियंत्रण और सहायता जिसमें किसी अन्य विभाग के अंतर्गत आने वाले उद्योग नहीं आते ।
6. नागर विमानन मंत्रालय और रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग के परामर्श से बनाए जाने वाले सिविल वायुयान के उत्पादन के लिए उद्योगों की स्थापना के लिए अनुज्ञप्तियां जारी करना ।
7. केबिल ।
8. हल्के इंजीनियरी उद्योग (उदाहरणार्थ सिलाई मशीनें , टाइपराइटर, तोलने की मशीनें, बाइसिकिल आदि) ।
9. हल्के उद्योग (उदाहरणार्थ प्लाईवुड, लेखन सामग्री, दिया सलाई, सिगरेट, आदि) ।
10. हल्के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी उद्योग ।
11. अप्रयुक्त फिल्मों ।
12. हार्ड बोर्ड ।
13. कागज और अखबारी कागज ।
14. टायर और ट्यूब ।

15. नमक ।
16. सीमेंट ।
17. तकनीकी विकास जिसके अंतर्गत औद्योगिक लागत और कीमत ब्यूरो तथा संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन भी है ।
18. साबुन और अपमार्जक ।
19. विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ आई पी बी) ।
20. औद्योगिक और सेवा परियोजनाओं में प्रत्यक्ष विदेशी और अनिवासी भारतीय निवेश ।

III औद्योगिक सहकारिता

21. सहकारी चीनी कारखानों के सिवाय, औद्योगिक सेक्टर में सहकारिता ।
22. भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) और तद्धीन बनाए गए विनियमों का प्रशासन ; केन्द्रीय बायलर बोर्ड ।
23. विस्फोटक- विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) और तद्धीन बनाए गए नियमों का प्रशासन, किन्तु विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 (1908 का 6) का नहीं ।
24. ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम, 1952 (1952 का 20) ।

IV. उद्योग और औद्योगिक तथा तकनीकी विकास

25. ओटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन, पूना ।
26. राष्ट्रीय सीमेंट और भवन सामग्री परिषद् ।
27. इंडियन रबड़ मैनुफैक्चरर्स रिसर्च एसोसिएशन , मुंबई ।

V. पेटेंट और डिजाइन

28. अंतर्राष्ट्रीय उत्पादों और कच्ची सामग्री का मानकीकरण ।
29. डिजाइन अधिनियम, 1911 (1911 का 2) ।

30. व्यापार और पण्य चिह्न अधिनियम, 1958 (1958 का 43) ।
31. पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) ।

VI. सामग्री योजना

32. उत्पादों के विशिष्ट समूहों और उपलब्ध क्षमता में सेक्टरों, उद्योगों और बड़े एकरों द्वारा की गई कच्चे माल की मांगों का समन्वित निर्धारण ।
33. आयात प्रतिस्थापन की साध्यता का सम्यक ध्यान रखते हुए देशी कच्चे माल की उपलब्धता का निर्धारण ।
34. तालिकाओं के लिए सम्यक छूट का ध्यान रखते हुए कच्चे माल के आयात की आवश्यकताओं का निर्धारण ।
35. कच्चे माल के आबंटन के लिए सिद्धांतों, पूर्विकताओं और प्रक्रियाओं का अवधारण ।
36. सामग्री योजना से संबंधित सभी अन्य मामले ।

VII. अन्य विषय

37. इस सूची में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी से संबंधित सभी संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालय अथवा अन्य संगठन ।' ।

के० आर० नारायणन
राष्ट्रपति

[फा. सं. 1/22/1/2000-मंत्रि.]

वी.के. गाबा, उप सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd April, 2000

S.O. 344(E).— In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :-

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Two hundred and Forty - seventh Amendment) Rules, 2000.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, -

(1) in the First Schedule, under the heading "5. Ministry of Commerce and Industry (Vanijya aur Udyog Mantralaya)", for sub-headings (ii), (iii) and (iv), the following sub-headings shall be substituted, namely:-

"(ii)Department of Industrial Policy and Promotion
(Audyogik Niti aur Samvardhan Vibhag)

(iii)Department of Supply (Poorti Vibhag).";

(2) in the Second Schedule, under the heading "MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (VANIJYA AUR UDYOG MANTRALAYA)", for sub-headings "B" and "C" and the entries relating thereto, the following sub-headings and entries shall be substituted, namely:-

"B. DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION
(AUDYOGIK NITI AUR SAMYARDHAN VIBHAG)

I. INDUSTRIAL POLICY.

1. General Industrial Policy.
2. Administration of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951).
3. Industrial Management.
4. Productivity in industry.

II. INDUSTRIES AND INDUSTRIAL AND TECHNICAL DEVELOPMENT

5. Planning, development and control of and assistance to, all industries other than those dealt with by any other Department.

990 GT/2000-2

6. Issue of licences for establishment of industries for production of civil aircraft to be made in consultation with the Ministry of Civil Aviation and Department of Defence Production and Supplies.
7. Cables.
8. Light Engineering Industries (e.g. Sewing machines, typewriters, weighing machines, bicycles, etc.).
9. Light industries (e.g. Plywood, stationary, matches, cigarettes, etc.).
10. Light Electrical Engineering Industries.
11. Raw films.
12. Hard Board.
13. Paper and newsprint.
14. Tyres and Tubes.
15. Salt.
16. Cement.
17. Technical Development including Bureau of Industrial Costs and Prices and United Nations Industrial Development Organisation.
18. Soaps and Detergents.
19. Foreign Investment Promotion Board (FIPB).
20. Direct foreign and non-resident Indian investment in industrial and service projects.

III. INDUSTRIAL CO-OPERATION

21. Co-operation in the Industrial sector, excepting Co-operative Sugar Factories.
22. Administration of the Indian Boilers Act, 1923 (5 of 1923) and the regulations made thereunder; Central Boilers Board.
23. Explosives-Administration of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), and the rules made thereunder, but not the Explosive Substances Act, 1908 (6 of 1908).
24. The Inflammable Substances Act, 1952 (20 of 1952).

IV. INDUSTRIES AND INDUSTRIAL AND TECHNICAL DEVELOPMENT.

25. Automotive Research Association, Poona.

26. National Council for Cement and Building Materials.

27. Indian Rubber Manufacturers' Research Association, Mumbai.

V. PATENTS AND DESIGNS.

28. Standardisation of international products and raw materials.

29. The Designs Act, 1911 (2 of 1911).

30. The Trade and Merchandise Marks Act, 1958 (43 of 1958).

31. The Patents Act, 1970 (39 of 1970).

VI. MATERIALS PLANNING.

32. Coordinated assessment of demands for raw materials by sectors, industries and large-units in relation to particular groups of products and to available capacities.

33. Assessment of domestic availability of raw materials with due regard to the feasibility of import substitution.

34. Assessment of requirements of imports of raw materials, with due allowance for inventories.

35. Determination of principles, priorities and procedures for allocation of raw materials.

36. All other matters connected with materials Planning.

VII. OTHER SUBJECTS.

37. All attached or subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list."

K. R. NARAYANAN
PRESIDENT

[F. No. 1/22/1/2000-Cab.]

V. K. GAUBA, Dy. Secy.

